न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

अपील सं0 29/2021 रसद

मैसर्स रामकेश मीना, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत बडागांव तहसील दौसा हाल मोहल्ला राजावतान जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी दौसा दिनांक 08.06.2016 बाबत निरस्ती प्राधिकार अपीलांट मुकदमा संख्या 26/2015

उपस्थित–1. श्री रामखिलाडी योगी, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष
2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 06.07.2022

अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 08.06.2016 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट से उचित मूल्य सामग्री के वितरण हेतु प्राधिकार पत्र ले रखा है, जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 197/1996 है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट को ग्राम पंचायत बडागांव के उचित मूल्य सामग्री वितरण हेतु एफ0पी0एस0 डीलर नियुक्त कर रखा है। उक्त प्राधिकार पत्र के तहत अपीलांट नियमानुसार अपने वितरण क्षेत्र में रेस्पोडेन्ट द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशन सामग्री का वितरण करता आ रहा है। अपीलांट की पत्नि की मानसिक स्थिति खराब चलने के कारण अपनी पत्नि के इलाज में व्यस्त रहा, जिसके कारण अपीलांट उचित मूल्य सामग्री का वितरण समय पर नहीं कर पाया, जिस पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र रसद कार्यालय के आदेश द्वारा [illegible] निरस्तीकरण की कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए अग्रिम आदेशों तक को [illegible] था। तत्पश्चात आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं राजस्थान खाद्य [illegible] एवं अन्य आवश्यक [illegible] वितरण का विनियमन आदेश 1976 की शर्त संख्या 2, [illegible] 17 सी व पी0डी0[illegible] आदेश 2001 तथा खाध सुरक्षा अधिनियम 2013 का दोषी मानते हुए अपीलांट को जारी प्राधिकार पत्र की

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.24 09:57:19 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर...2 पर

जमा प्रतिभूति राशि 1000/— जब्त सरकार करते हुए जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा बिना प्रवर्तन निरीक्षक से रिपोर्ट तलब किये बगैर ही तथा बिना कोई मौका रिपोर्ट व साक्ष्य के बिना अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने अपने आदेश में अपीलांट का लम्बे समय से राशन सामग्री उठाव/वितरण का कार्य संपादित नहीं किया जाना बताकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलांट की पत्नि की मानसिक स्थिति खराब चल रही है जिसमें अपीलांट को व्यस्त रहने के कारण समय पर राशन सामग्री का वितरण नहीं कर सका किन्तु अपीलांट द्वारा राशन सामग्री उपभोक्ताओं को देर सवेर उपलब्ध कराई गई है। जिसमें अपीलांट की कोई बदनीयति नही रही है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारी प्रवर्तन निरीक्षक से किसी भी प्रकार से स्टॉक व वितरण रजिस्टर की जांच नहीं करवाई गई है और मनमाने तरीके से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। दिनांक 8.6.2016 को प्राधिकार पत्र निलंबित करने के बाद प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है ना ही पत्रावली पर कोई नोटिस दिया जाना दर्शा रखा है। ऐसी सूरत में जिला रसद अधिकारी का आदेश निरस्तनीय है। अतः जिला रसद अधिकारी दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.06.2016 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र तत्काल बहाल किया जावे तथा अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल होने तक अपीलाट को हुई आर्थिक क्षति बाबत 2000/—रू0 प्रतिदिन की दर से हर्जाना राशि दिलवाई जावे जो कि जिला रसद अधिकारी दौसा के वेतन पेंशन आदि में से काटकर दिलवाई जावे।

विभागीय पैरोकार सरकार की दलील है कि दिनांक 19.3.2015 व 12.5.2015 को प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा ग्राम पंचायत बडागांव के ग्राम ठीकरिया के उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध राशन सामग्री वितरण में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर जॉच की गई। जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई है

1. उक्त निरीक्षण दिनांक 19.3.2015 को दुकान बंद पाई गई। दुकान बंद होने का कोई कारण भी अंकित नहीं था।
2. मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओ ने दुकान माह में 1—2 दिन खोलने, खाध सुरक्षा योजना में माह फरवरी 2015 में 3 किलोग्राम प्रति यूनिट वितरण तथा चीनी भी 1 किलोग्राम प्रति यूनिट के स्थान पर कम वितरण करना बताया।
3. मौके पर राशन उपभोक्ताओं ने राशन डीलर की शिकायत की एवं राशन सामग्री के वितरण कार्य को असंतोषजनक बताया।
4. दिनांक 15.5.2015 को की गई जांच में राशन कार्डों में केरोसीन व गेहूँ की प्रविष्टियां निर्धारित मात्रा से कम पाई गई।
5. माह फरवरी 2015 व मार्च 2015 में केरोसीन 4 लीटर प्रति राशन कार्ड के स्थान पर 3 लीटर प्रति राशन कार्ड वितरित किया गया।
6. खाध सुरक्षा के पात्र परिवारों को निर्धारित 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के स्थान पर 3 किलोग्राम प्रति यूनिट का ही वितरण किया जाना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.24 09:57:19 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर...3 पर

[illegible] स्टॉक व वितरण रजिस्टर में बेची गई मात्रा व रकम का इन्द्राज नहीं है तथा प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर भी वितरण रजिस्टर में निर्धारित संख्या से बहुत कम है।
[illegible] उपस्थित शिकायतकताओं ने राशन सामग्री नियमित रूप से नहीं करना बताया गया।
[illegible] स्टॉक रजिस्टर अनुसार 12.56 क्विंटल गेहूँ व 4 लीटर केरोसीन अटैच दुकान को नहीं संभला कर दुरूपयोग किया गया।

इस प्रकार श्री रामकेश मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बडागांव द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 व प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 11 व 17 का स्पष्ट उल्लंघन 1955 के तहत दण्डनीय अपराध किया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि श्री रामकेश मीना राशन डीलर द्वारा राशन की दुकान नियमित नहीं खोलने एवं राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 19.3.2015 को प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा जांच की गई। प्रवर्तन अधिकारी दौसा द्वारा जांच की जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक [illegible].2015 को जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा राशन डीलर मैं0 रामकेश मीना, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बडागांव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीलर द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर राशन सामग्री वितरण में अनियमितताओं के संबंध में डीलर द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड की विस्तृत जांच पुनः प्रवर्तन अधिकारी दौसा व लालसोट की संयुक्त जांच दल द्वारा कराई गई। राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री में की गई वितरण में अनियमितताओं के संबंध में पुलिस थाना नांगल राजावतान में प्राथमिकी संख्या 235 दिनांक [illegible].2015 दर्ज कराई गई तथा जांच रिपोर्ट में दर्ज आरोपों के आधार पर राशन डीलर को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर 7 दिवस में जवाब पेश करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। राशन डीलर द्वारा निर्धारित समयावधि में जवाब पेश नहीं करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा राशन डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 197/1996 को संपूर्ण अमानत राशि 1000/–रू0 जब्त सरकार की जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। उचित मूल्य दुकानदार का यह कथन असत्य है कि अपीलांट को जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक से किसी भी प्रकार के स्टॉक व वितरण रजिस्टर की जांच नहीं करवाई गई है और मनमाने तरीके से अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। श्री रामकेश मीना, उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राशन उपभोक्ताओं को 4 लीटर के स्थान पर 3 लीटर केरोसीन वितरण करना, खाद्य सुरक्षा में पात्र परिवारों को निर्धारित [illegible] किलोग्राम के स्थान पर 3 किलोग्राम वितरण करना, स्टॉक व वितरण रजिस्टरों में [illegible] व रकम का इन्द्राज नहीं कर रिकार्ड का सही प्रकार से संधारण नहीं करना आदि गंभीर अनियमितताएं की गई है। अपीलांट श्री रामकेश मीना, उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपरोक्त वर्णित अनियमितताएं कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 व राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.24 09:57:19 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निरंतर...4 पर

वस्तुऐं (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.06.2016 यथावत रखा जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली अभिलेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 07 जुलाई, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2022.11.24 09:57:19 IST
Reason: SelfAttested